

22/6/23

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर
सुरेन्द्र सिंह बनाम हनुमान वीरा
दावा तकारमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्र संख्या: 45/2023

दिनांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.05.2023	<p>वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट सरिस्ता हो चुकी है, वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तल्बी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की जावे। पत्रावली दिनांक 22/6/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)</p>	
28/6/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता उमय पल उपस्थित। पीएमसी अधिकारी अन्य वर्क में व्यक्त है। आज 28/6/23 को कोर्ट के साथ अभियान 2023 में केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय P.A. R.T.P. पर दिनांक 30/6/23 को पेश हो।</p>	
30/6/23	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान 2023 में केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय P.A. R.T.P. पर पेश हुई। अधिवक्ता एवं वादी उमय पल उपस्थित। आज 30/6/23 को कोर्ट ग्राम पंचायत नहीं हुआ। आज पत्रावली पूर्व आदेशानुसार किांक 31/8/23 को पेश हो।</p>	
	<p>14/7/23 पत्रावली आज अर्द्धाह्न के बाद सुनवाई के लिए पत्र पेश करने पर अहकाम मिला। पत्र पर अर्द्धाह्न के बाद सुनवाई के लिए अहकाम मिला। अर्द्धाह्न के बाद सुनवाई के लिए अहकाम मिला।</p>	

क्र.सं. 45
2022

सुरेन्द्र ठाकुर
प्रतिपक्ष कार्य

मे अपन बर्तन-पत्र हे
वाक्ये कथने के स्वीकार
मिना। तथा पक्षकार के
नए प्रमाणों के कारण
एवं वक्त के ब्रह्म नही
यत्न चाह। तथा प्रतिपक्ष
के स्वीकार मने म. बर्तन
म।

इति। इच्छिका बर्तन के
लिखित बर्तन-पत्र के अर्थ
पर वक्त के वक्त कारण
मिना जात है फावले-निर्णय
शुद्ध है। वक्त वक्त के
वक्त है।

उपखण्ड अधिकारी
कोरपूतली (जयपुर)

अथ